राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस-नोट

अजमेर 15 जनवरी। राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यापक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक प्रतियोगी परीक्षा 2006 के पदो के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विभन्न याचिकाओं में पारित आदेशों की पालना में निर्धारित अंतिम दिनांक 16 अक्टूम्बर 2014 व 07 दिसम्बर 2014 तक आवेदन-पत्र जमा नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों, जिनका चयन निरस्त कर दिया है, को एक और मौका प्रदान कर आगामी 01 फरवरी 2016 तक आवेदन करने को कहा है।

आयोग के सचिव श्री नरेश कुमार ठकराल के अनुसार ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.rpsc.rajasthan.gov.in से विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर दो प्रतियों में मय प्रमाण पत्रों के आगामी 01 फरवरी 2016 तक आयोग कार्यालय में आवश्यक रूप से भिजवा दें। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाऐगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की पात्रता की जांच कर स्पष्ट पाए गए पात्र अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किए जाएंगे। इस परीक्षा का परिणाम भी आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।